रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 1997/वैशाख 16, 1919
No. 286] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 1997/VAISAKHA 16, 1919

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 मई, 1997

का. आ. 367 (अ).—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में 5 अप्रैल, 1997 को सं० का०आ० 299 (अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश मिला है कि इस अधिसूचना और इसकी अनुसूची में निम्नलिखित सुधार किए जाएं :—

अनुसूची

1. पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या 8 में फल के अन्तर्गत छिलके सहित बादाम का टैरिफ मूल्य कालम 4 में "1780.00" के स्थान पर "1700.00" पढ़ें।
2. पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या 10 में खालें—भैंस की कच्ची खालें के अन्तर्गत कालम 2 में "लवगित" के स्थान पर "लवणित" पढ़ें।
3. पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या 10 में खालें—गाय की खालों के अन्तर्गत कालम 2 में "लवगित" के स्थान पर "लवणित" पढ़ें।
4. पृष्ठ 4 पर ऊपर से उन्नीसवीं लाईन से इक्कीसवीं लाईन तक क्रम संख्या 17 तम्बाकू के अन्तर्गत वर्ग 2 श्रेणी में उल्लिखित सभी किस्मों का टैरिफ मूल्य कालम 4 में "19.00" के स्थान पर "19.80" पढ़ें।
5. पृष्ठ 4 पर ऊपर से बाईसवीं लाईन से पच्चीसवीं लाईन तक क्रम संख्या 17 तम्बाकू के अन्तर्गत वर्ग 3 श्रेणीयों में उल्लिखित सभी किस्मों का टैरिफ मूल्य कालम 4 में "4.50" पढ़ें।
6. पृष्ठ संख्या 4 पर अट्ठाईसवीं लाईन में क्रम संख्या 17 तम्बाकू के अन्तर्गत कालम 2 में "बीड़ी का तम्बाकू चबाने वाला, चुरुट, सिगार तम्बाकू" के स्थान पर केवल "बीड़ी का तम्बाकू चबाने वाला" तथा इसका टैरिफ मूल्य "24.00" (कालम 4 में) पढ़ें।
7. पृष्ठ 4 पर ऊपर से उन्नीसवीं लाईन में क्रम संख्या 17 तम्बाकू के अन्तर्गत कालम 2 में "तथा गहरे रंग की पश्चिमी अग्नि संसाधित तम्बाकू" के स्थान पर "चुरुट, सिगार तम्बाकू तथा गहरे रंग की पश्चिमी अग्नि संसाधित तम्बाकू" पढ़ें।

[सं० 9-1/96-डब्ल्यू.पी.टी.ई.एस.]

के० एम० चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th May, 1997

S. O. 367 (E).—I am directed to refer to the notification published in the Gazette of India Extraordinary Part—II Section 3 Sub-section (ii) dated the 5th April, 1997 under S.O. No. 299 (E) and to say that following corrections may be carried out in the notification and the schedule thereof.

Schedule of Tariff Values covered under Agricultural Produce Cess Act, 1940

S.No.	Item No.	Aricle		As given	As required
		Main Head	Sub-Head		
1.	2 (Page 5)	Bristles	White	27 (Col. 4)	27.00 (Col.4)
2.	17 (Page 7)	Tobacco	22nd Line	NDBRG (Col. 2)	HDBRG (Col. 2)
3.	17 (Page 7)	Tobacco	Class II Grades (15th Line)	19.30 (Col. 4)	19.80 (Col. 4)
4.	20 (Page 7)	Wheat Flour	—	Quintal (Col. 3)	— (Col. 3)
5.	20 (Page 7)	Wheat Flour	—	393.00 (Col. 4)	— (Col. 4)
6.	20 (Page 7)	Wheat Flour	Wheat Atta	462.00 (Col. 4)	393.00 (Col. 4)
7.	20 (Page 7)	Wheat Flour	Suji	— (Col. 4)	462.00 (Col. 4)

[F. No. 9-1/96-WPT-ES]

K. M. CHADHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997